कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Email:-dfo_pauri_uta@yahoo.co.in , **Phone/ Fax no:-01368-222215**

पत्रॉकः— 5306 / 12-1 : दिनॉकः पौड़ी, माह, जून...09...2025

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बैजरौ (गढ़वाल)।

विषयः— **जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड— बीरोंखाल में ग्राम स्यूंसी आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.99 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/43022/2019**

सन्दर्भः— वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र सं0 2256 / 12—1, दिनॉक 21—05—2025

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत हुये 5 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। परन्तु विधिवित स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे प्रकरणों में भारत सरकार, पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली की पत्र सं0 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 19—01—2022 के दिशा—निर्देशानुसार NPV की संशोधित धनराशि जमा की जानी आवश्यक है, जिसका डिमांड नोट आपको निम्न प्रकार से प्रेषित किया जा रहा हैः—

एन0पी0वी0 की धनराशि का भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या—5—3 / 2011—एफ0सी0, दिनांक 19—01—2022 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार हैः—

ईको क्लास	—	V[th]
हरियाली का घनत्व	—	0.2
एन0पी0वी0 की नई संशोधित दर प्रति है0	—	रू0 10,05,210.00
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	—	0.99 है0
एन0पी0वी0 की धनराशि	—	0.99 X 10,05,210.00 = 9,95,157.90
		या— 9,95,158.00

(रू0 नौ लाख पिच्चयानबे हजार एक सौ अट्ठावन) मात्र

आपको पूर्व में प्रेषित डिमांड नोट के अनुसार आपके द्वारा जमा की गई एन0पी0वी0 की धनराशि 6,50,430.00 तथा भारत सरकार के उक्त आदेश के अनुसार आपके द्वारा अवशेष धनराशि जिसे जमा किया जाना है रू0 9,95,158.00 — 6,50,430.00 = 3,44,728.00 (रू0 तीन लाख चौवालीस हजार सात सौ अट्ठाईस) मात्र की धनराशि अतिरिक्त जमा की जानी है।

अतः आप उपरोक्तानुसार एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार धनराशि कैम्पा कोष में जमा करने का कष्ट करें जिससे कि प्रकरण में यथोचित कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को लिखा जा सके।

भवदीय,

(स्वप्निल अनिरूद्ध)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

पत्रांक 5306 / 12-1 ,दिनॉकित ।

प्रतिलिपिः— प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः— वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः— जिलाधिकारी, गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।

(स्वप्निल अनिरूद्ध)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

O/C